

प्रधान नाम आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ४ (12)आकाशि/नि.सं./१६/१३५

दिनांक: २९-२-१६

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संख्या को नवीन महाविद्यालय प्राप्त करने हेतु आवंटित संकाय/विषयों
सहित सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है: -

संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
महावीर जैन विद्यालय संस्थान, ९४० सेक्टर- ४ हिरण मगरी, उदयपुर।	महावीर महाविद्यालय, ५५४/१, बड़गाँव-भीपडर रोड, कीर की चौकी, भीपडर, उदयपुर।	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित- वी.ए- हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, वर्षन शास्त्र, भूगोल। वी.कोम-ए, वी.एस.टी., व्यवसायिक प्रशासन, ई. ए.एफ.एम।

- संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवाची सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति प्रश्नात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार त्वरण की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तथ मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानवित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूनिसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशेषणिक रुपान्तरण की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तथ मानदण्डानुसार) का निर्माण होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार निवेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिकाएं एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समावादी में जमा करायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस/एन०सी०सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाइड) में से किसी भी एक सहायीकारी गतिविधि में विद्यार्थी को भाग विलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2016-17 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल [Know Your College](http://www.knowyourcollege.nic.in) पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।


उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विश्ववि संचिव, मां उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, अतिरिक्त मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- कुल संचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।


विन० शूल्ल० शैलि।६
संयुक्त-निवेशक (नि०स०)